

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई  
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी  
पीठासीन अधिकारी:-उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.  
प्रकरण संख्या:-2/2018  
बेगराज पुत्र बेगराज जाति जाट निवासी बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।  
-वादी

बनाम्  
बेगराज पुत्र मनफूल  
ममता पुत्री बेगराज  
कैलाश पत्नी बेगराज } कौम जाट निवासी बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।  
-प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल  
मदई रोबरू हमारे बहाजरी श्री करनैलसिंह वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री  
मुनाषचन्द्र गर्ग मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती  
कि प्रतिवादी सं० 1 बेगराज के नाम से चक नं० 10 एफटीपी के खाता सं० 89/72  
में कुल 4.352 है० में 1/4 हिस्सा व इसी चक के खाता सं० 90/74 में कुल 0.759 है०  
भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चक नं० 10  
एफटीपी के खाता सं० 89/72 व इसी चक के खाता सं० 90/74 में से प्रतिवादी सं०  
1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड  
में अंकन किया जावे। बैंक ऋण होने की स्थिति में बैंक से अनापति प्रमाण-पत्र प्राप्त  
होने पर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत.....निल.....खर्चा मुकदमें  
के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक 16.3.2018  
अदा करें।

बसब मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 16.3.2018 को जारी  
किया गया।



(उम्मेद सिंह रतनू)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी टिब्बी